372

भारत के आर्थिक विकास में महिला मानव संसाधन की भागीदारी का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (जनपद मेरठ के विशेष सन्दर्भ में)

02

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के
वाणिज्य विषय
में पी-एच्० डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत
संक्षिप्त शोध सारांश

शोध निर्देशक :
डॉ० आर० के० सिंघल
भू०पू० संकायाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय,
देवनागरी महाविद्यालय, मेरठ।

शोधार्थिनी :
रूचिका राठौर
एम०कॉम०, एम०फिल०
निवास : Q-298, पल्लवपुरम,
मेरठ–250110

शोध केन्द्र : देवनागरी महाविद्यालय, मेरठ
2019

प्रस्तावना

भारतीय समाज में प्राचीनकाल से ही महिलाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। नारी ने सदैव ही पुरुष के साथ सहधर्मिणी का रूप निभाया है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण आचार्य मिश्र की पत्नी शारदा देवी का है, जिन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। इसमें न केवल उन्होंने पति की सहधर्मिता निभाई थी, बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की थी। इस प्रकार से मैत्रेयी, गार्गी, सीता, अनुसूया, सावित्री, द्रौपदी आदि विदुशी महिलाओं के नामों से हमारा इतिहास भरा हुआ है। मध्यकालीन भारत में अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई ने राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक काल में राजनीति के क्षेत्र में सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी भी इसी शृंखला की एक कड़ी है।

शोध--अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(1) भारतीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा का अध्ययन करना; (2) महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन करना; (3) शोध क्षेत्र की भौगोलिक, प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना; (4) शोध विषय पर उपलब्ध साहित्य का पुनर्वालोकन करना; (5) शोध क्षेत्र की महिला मानव संसाधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना; (6) शोध क्षेत्र के आर्थिक विकास में महिला मानव संसाधनों की भागीदारी का अध्ययन करना; (7) जनपद के चयनित परिवारों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना; (8) देश के आर्थिक विकास को सफल बनाने हेतु सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना एवं (9) शोध अध्ययन के आधार पर तर्क संगत निष्कर्ष निकालना एवं रचनात्मक सुझाव देना।

शोध--अध्ययन की परिकल्पनाएँ

हमारा यह शोध-अध्ययन निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित है :-

(1) महिला मानव संसाधन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी सशक्त भूमिका का निर्वाह करती हैं; (2) महिला मानव संसाधन की भागीदारी को सशक्त बनाने में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की नीतियों का योगदान रहा है; (3) विभिन्न महिला कल्याण एवं विकास संस्थाएँ महिलाओं के विकास व उत्थान के लिए सच्ची भावना से प्रयत्नशील रही हैं; (4) भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं एवं (5) सरकार एवं समाज के सकारात्मक सहयोग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

शोध अध्ययन के निष्कर्ष

भारत के आर्थिक विकास में महिला मानव संसाधन की भागीदारी का शोध क्षेत्र जनपद मेरठ के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से ज्ञात निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं—

- आजादी के 72 वर्ष बाद भी भारतीय 'महिला मानव संसाधन' आर्थिक व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीछे छुटा हुआ है। जबकि भारतीय संविधान में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।
- प्राचीन काल में भी भारतीय समाज की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी कि महिलाएँ घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थी तथा पुरुष-वर्ग घर से बाहर के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य करते थे, परन्तु पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी परम्परागत क्षेत्रों के साथ-साथ गैर-परम्परागत क्षेत्रों में भी काफी बढ़ी है। वे आज भारत के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
- परम्परागत धारणा है कि आर्थिक जोखिमों से भरपूर कार्य केवल पुरुष-वर्ग ही कर सकता है, महिलाओं ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति एवं कठिन परिश्रम के बल पर इस धारणा को निराधार साबित कर दिया है। अब वे इस जोखिम भरे आर्थिक जीवन में धीरे-धीरे, परन्तु मजबूती के साथ कदम रखने लगी है।
- वर्तमान समय में, भारतीय अर्थव्यवस्था में 'महिला मानव संसाधन' के कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाने लगा है और उनके द्वारा किये जाने वाले आर्थिक कार्यों को मुद्रा मूल्यांकित करके अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को स्पष्ट किया जाने लगा है।
- वर्तमान समय में भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान को पुरुष समाज द्वारा खुले हृदय से स्वीकार किया जाने लगा है।
- सामान्यतः यह देखने में आता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएँ सम्पन्न परिवारों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी करती हैं।
- वे महिलाएँ जो किसी न किसी रूप में आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहती है, कामकाजी महिलाओं के अन्तर्गत सम्मिलित होती है, अन्य शब्दों में यदि किसी महिला के द्वारा किये गये कार्य से कुछ आर्थिक उत्पत्ति होती है तो वह महिला 'वर्किंग वूमेन' की श्रेणी में आती है।
- भारतीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार पर काफी दयनीय है अधिकतर सम्पत्ति परिवार के पुरुषों के नाम एवं अधिकार में होती है। अतः स्पष्ट है कि आज भी अधिकांश महिलाएँ अपने आर्थिक पक्ष की पूर्ति के लिये पूर्णतः पुरुषों पर ही निर्भर रहती है।

शोध अध्ययन के सुझाव

देश, प्रदेश एवं जनपद मेरठ के आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करने से जो कुछ स्थिति सामने आयी उसका उल्लेख हम इस अध्याय में पहले कर चुके है। अध्ययन के अन्तर्गत जो कुछ कमियाँ हमारे सामने आयी हैं उन कमियों को दूर करने के लिये तथा आर्थिक विकास में महिलाओं की

Rajan Ruchika

भागीदारी को और अधिक सफल बनाने के लिये क्या सुझाव हो सकते हैं उनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा रहा हैः—

- शहर की मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों में 'सर्व शिक्षा अभियान' एवं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (1 अप्रैल 2010 से लागू) का सुचारू रूप से संचालन किया जाना चाहिये जिससे इन पिछड़े इलाकों में रहने वाले बालक-बालिकाओं में शैक्षिक जागृति उत्पन्न हो सके। देश के प्रत्येक बालक-बालिका के लिए कम से कम दसवीं तक शिक्षा की अनिवार्यता होनी चाहिए।
- घरेलू कार्यों में संलग्न महिलाओं व बालक-बालिकाओं को घर के मुखिया द्वारा उनके कार्य का पारितोषण (मजदूरी) नकद या सामग्री के रूप में दिया जाना चाहिये जिससे महिलाओं व बच्चों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की वृद्धि होगी तथा उनके आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी को मुद्रा में आंका जा सकेगा।
- भारत में मध्यमवर्गीय परिवारों में महिलाओं से नौकरी कराना या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पुरुष सदस्यों के साथ मिलकर काम करना या महिलाओं द्वारा कोई भी व्यवसाय एवं पेशा करना अभी भी सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिये सामाजिक दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- भारत में आज भी अधिकांश महिलायें आर्थिक रूप से पूर्णतः पुरुषों पर निर्भर हैं उनके द्वारा आर्थिक रूप से कार्य करने पर भी उनको व्यक्तिगत आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त नहीं होती। अतः पुरुषों के इस दृष्टिकोण में परिवर्तन की नितान्त आवश्यकता है।
- महिलाओं में आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए कानून में एक ऐसा परिवर्तन लाया जाना चाहिये कि पुरुषों द्वारा जो भी आर्थिक कार्य किये जाये जैसे कोई व्यापार करना, सम्पत्ति खरीदना, बैंक खाता खोलना, पालिसी कराना, व्हीकल खरीदना आदि क्रियाओं में आवश्यक रूप से अपनी पत्नी का नाम लिखवाया जाना चाहिये जिससे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।
- भारतीय समाज में अभी भी जो भी पारिवारिक निर्णय लिये जाते है, वो केवल पुरुष वर्ग द्वारा ही लिये जाते हैं अर्थात् परिवार के किसी भी निर्णय में महिलाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता, जो कि किया जाना चाहिए।
- वर्तमान समय में नई पीढी की महिलायें शिक्षित हैं तथा परिस्थितियों को समझने की क्षमता रखती है तथा अपने विचारों को रखने में पूर्ण रूप से समर्थ है अतः परिवार के पुरुष सदस्यों का यह कर्त्तव्य बनता है कि परिवार की ऐसी महिलाओं को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाये।

Ruchika